In The Court Of District & Additional Sessions Judge-I-cum Special Judge NDPS Act, and P.O. of Children Court, Begusarai

Present:- M.P Singh
District & Additional Sessions Judge-I, Begusarai

Schedule XLII – Form No. (J) 12

FORM OF HEADING OF DEPOSITION

NDPS Case No. 06 of 2021

Deposition of witness No. 02 for the prosecution PW aged about 41 years taken on solemn affirmation on the **16-05-2025**
My name -Dinesh Kumar
I am the S/oD/o/W/o- Jai Narayan Yadav
My age is 41 years. I am by religion Hindu My nationality is Indian.
My home is at mauza Ramsebigha , Police Station-Kalpa , District- Jehanabad
I reside at present in mauza Naokothi, Police station Naokothi, District Begusarai
where I am . थानाध्यक्ष
On Oath :-

मुख्यपरीक्षण

1. मैं वर्ष 2021 में खोदावंदपुर थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 21.03.2021 को आगामी होली पर्व के मद्देनजर थाना के दिवागस्ती की टीम पी0टी0सी0 रामजी मंडल, सिपाही स्वाती कुमारी एवं एक अन्य सिपाही के साथ दिवागस्ती में खोदावंदपुर थाना अन्तर्गत फफौत पुल से पहले मोर के पास दिन के बारह बजे आने जाने वाले वाहनों का चेकिंग कर रहे थे तो सिपाही रीना कुमारी, स्वाती कुमारी एवं पी0टी0सी0 रामजी मंडल सभी वाहन चेंकिग/तलाशी में सहयोग कर रहे थे। करीब 12:30 बजे एक लाल हिरो सुपर स्पलैंडर मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति जो मोटर साईकिल के सीट पर एक झोला में कुछ रखा हुआ था, लेकर तेजी से सड़क से मुड़कर आया, जो अचानक पुलिस चेकिंग देख भागने का प्रयास किया, जिसे उपलब्ध बल की सहायता से पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम–पता पुछने पर अपना नाम अखिलेश कुमार, पिता–उमाकांत उर्फ कुंती लाल महतो एवं मोटरसाईकिल के पीछे बैठने वाला व्यक्ति अपना नाम उमाकांत उर्फ कुंतीलाल, पिता–स्व0 लखन महतो दोनो ग्राम–फफौत वार्ड नंबर 04, थाना खोदावंदपुर, जिला–बेगूसराय बताया। पीछे बैठा व्यक्ति अपने हांथ में प्लास्टिक के बोरा का बना एक झोला मोटरसाईकिल के बीच सीट पर रखकर हांथ से पकड़े हुए था, जिसमें टेप मारा एक बंडलनुमा गांजा का पैकेट पाया गया, जिसके संबंध में उक्त दोनो अखिलेश कुमार एवं उमाकांत उर्फ कुंतीलाल 10 किलो गांजा होने की बात स्वीकार किया। पैकेट का कुछ भाग फटा हुआ था, जिसमें गांजा भरा हुआ पाया गया। उक्त का विधिवत तलाशी हेतु आसपास के स्वतंत्र साक्षी का खोजबीन किया लेकिन उक्त दोनो स्थानीय फफौत के निवासी होने के कारण कोई साक्षी बनने के लिए तैयार

लागातार ....

नही हुए तो अपने टीम के सदस्य रामजीमंडल एवं स्वाती कुमारी को साक्षी मानते हुए उक्त का विधिवत तलाशी लिया तो उक्त दोनो के पास से मोटरसाईकिल की सीट पर झोला में लेकर आ रहे गांजा के पैकेट में गांजा भरा पाया। पास के दुकान में वजन करवाया तो उसका वजन 10 किलोग्राम पाया गया। बरामद गांजा एवं मोटरसाईकिल नंबर BR 09 AA 0156 एवं अखिलेश कुमार के पास से बरामद मोबाईल सभी का विधिवत जप्ती सूची बनाया। जप्ती सूची पर दोनो साक्षी स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर बनाये एवं जप्ती सूची का एक–एक कॉपी गांजा के साथ पकड़ाये दोनो व्यक्ति को देकर प्राप्तिनामा बनवाया। पकड़ाये गांजा के संबंध में उक्त दोनो व्यक्ति अखिलेश कुमार एवं उमाकांत उर्फ कुंतीलाल से वैद्य कागजात का मांग किया तो कोई वैद्य दिया न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। अवैध गांजा के साथ पकड़ाने के आरोप में उक्त दोनो को विधिवत गिरफ्तार किया। जप्त प्रदर्श अवैध गांजा को घटना स्थल पर सीलबंद किया एवं सीलबंद प्रदर्श के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर एवं घटना के संबंध में घटना स्थल पर अंकित फर्दबयान के साथ प्रस्थान किया एवं खोदावंदपुर थाना पहुंचा। घटित घटना, अवैध गांजा बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में अपने स्वलिखित बयान पर खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 64/21, दिनांक 21.03.2021 धारा 20(II) (C) & 22(C) NDPS Act के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान का भार पु0अ0नि0 अर्चना झा को दिया। प्राथमिकी हेतु दिया गया स्वलिखित बयान मेरे लिखावट में है, उसपर मेरा हस्ताक्षर है, इसे पहचानता हूँ, इसे Exbit P 02/PW02 अंकित किया जाता है।

2. स्वलिखित बयान पर पृष्ठांकन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, इसे पहचानता हूँ, इसे Exbit P 02/01/PW02 अंकित किया जाता है।
3. औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक के लिखावट में है, जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, इसे पहचानता हूँ। संपुर्ण औपचारिक प्राथमिकी को Exbit P 02/02/PW02 अंकित किया जाता है।
4. जप्ती सूची मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, इसे पहचानता हूँ, इसे Exbit P 03/PW02 अंकित किया जाता है।
5. आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त उमाकांत उर्फ कुंतीलाल को पहचानता हूँ। अभियुक्त अखिलेश कुमार को देखकर पहचान लुँगा।
6. इस कांड के वस्तु प्रदर्श को वर्तमान थानाध्यक्ष, खोदावंदपुर के द्वारा पत्र के साथ आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो ब्राउन रंग का टेप मारा हुआ बंडलनुमा पैकेट में है। इसे पहचानता हूँ। इसे साक्षी के पहचान पर Exh.M/PW-02 अंकित किया जाता है।

लागातार ....

In The Court Of District & Additional Sessions Judge-I-cum Special Judge NDPS Act, and P.O. of Children Court, Begusarai

Present:- M.P Singh
District & Additional Sessions Judge-I,
Begusarai

*****प्रतिपरीक्षण दोनो अभियुक्त की ओर से श्री प्रभाकर महाराज के द्वारा *****

7. आज न्यायालय में उपस्थापित जप्त प्रदर्श पर न्यायिक दंडाधिकारी महोदय का हस्ताक्षर है। अन्य हस्ताक्षर अपठनीय हो गया है।

8. ऐसी बात नही है कि आज न्यायालय में उपस्थापित जप्त प्रदर्श इस कांड का नही है और इसिलिए इस पर किसी का हस्ताक्षर नही है।

9. आज मैं न्यायालय में नावकोठी थाना से आया हूँ।

10. जब मैं खोदावंदपुर थाना में था तो नरहन जाने का कई बार मौका लगा। कब गये है, तारीख याद नही है।

11. दिनांक 20.05.2021 को थाना कितने बजे गया था, समय याद नही है। लौटे तो पुलिस बल के अलावा कौन कौन साथ में था, यह भी याद नही है। गिरफ्तार अभियुक्त को साथ लेकर गये थे अन्य का नाम याद नही है। रास्ता में अन्य बहुत लोग मिला।

12. ऐसी बात नही है कि मैंने जो गवाही दिया वह बिलकुल असत्य गवाही दिया है और न्यायालय में जो वस्तु प्रदर्श लाया हूँ, उस वस्तु प्रदर्श से मुदालय को कोई मतलब ही नही है तथा किसी प्रकार का कोई बरामदगी मुदालय के पास से नही हुआ।

उक्त ब्यान मेरे द्वारा न्यायालय में दिया गया है तथा जिसे सुनने/पढ़ने के पश्चात सही पाये जाने पर न्यायालय में अपना अंगूठा/हस्ताक्षर लगा रहा/रही हूँ।

Dinesh Kumar
16/05/2025
गवाह का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान
S-J

Typed by Deposition writer under my dictation, corrected and Signed by me.

Akshay Kumar Sharma
16/05/25
I/C Deposition Writer
16-05-2025

Addl. Sessions Judge – I-cum,
Spl. Judge NDPS Act., Begusarai
16-05-2025